कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक : **14.10.2021**

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
जालोर,
राजस्थान।

विषय :— अनुपालना रिपोर्ट **Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.**

संदर्भः— शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02.2021 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ ( ) एफसीए (एनओसी) / उवसं / 2020—21 / 7551 दिनांक 09.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02.2021 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :— FP/RJ/ROAD/41639/2019

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रक्रियाधीन है एवं उक्त सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 2,88,188/– रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से दिनांक 06.09.2021 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 4,33,620/– रुपये दिनांक 06.09.2021 को ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

12.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Ba

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AY 906412

शपथ–पत्र

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: – 0.99 Ha

मनके जे पी सुथार शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर, राजस्थान का अॅटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

क्र.सं. 3310 दिनांक 11/10/21

मुद्रांक का मूल्य 50/-

मुद्रांक क्रेता ... क्रेता का नाम श्री EXCUTIVE ENGINEER PWD NH DIVISION BARMER Raj

पिता/पति का नाम श्री ...

पता ...

2

5

10

... 10% ...

... 10% ... 15

कुल योग ...

हस्ताक्षर ...

राम ... शाह

लाइसेंस नं. 36 ...

... 36, ...

... जयपुर-39

6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

10. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

11. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

13. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

मिकर

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02. 2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barm

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02. 2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02. 2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: – 0.99 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(J. P. Suthar)

Executive Engineer

Public Works Department

NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/41639/2019 दिनांक :–14.10.2021

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23.02. 2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: – 0.99 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23. 02.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(J. P. Suthar)

Executive Engineer

Public Works Department

NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23. 02.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(J. P. Suthar)

Executive Engineer

Public Works Department

NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: – 0.99 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23. 02.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(J. P. Suthar)

Executive Engineer

Public Works Department

NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बाड़मेर

क्रमांक :– **FP/RJ/ROAD/41639/2019** दिनांक :–**14.10.2021**

Project Name: - Diversion of 0.99 hectare Forest Land for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer Section) in the state of Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/41639/2019

Applied Area: - 0.99 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (7) वन / 2021 दिनांक 23. 02.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(J. P. Suthar)
Executive Engineer
Public Works Department
NH Division Barmer

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-08-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT NH DIVISION BARMER
Application No.	6141639547
MoEF/SG File No.	1(7)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive Engineer, PWD, NH Division, BarmerBarmer
Amount(in Rs)	721808/-

Amount in Words :Seven Lakh Twenty-One Thousand Eight Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856141639547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-08-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT NH DIVISION BARMER
Application No.	6141639547
MoEF/SG File No.	1(7)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive Engineer, PWD, NH Division, Barmer Barmer
Amount(in Rs)	721808/-

Amount in Words :Seven Lakh Twenty-One Thousand Eight Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856141639547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
NH Division Barmer

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/RJ/ROAD/41639/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/41639/2019) Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/Jalore ; reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer - Barmer-Sanchore Section) in the state of Rajasthan	ROAD416392019547	6141639547	23 Feb 2021	**CA:** 288188/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 433620/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 721808/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :23 Jul 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :19 Aug 2021 **Transaction Date** :06 Sep 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7112212411210W8ZM4DemandNoteofProposalNo4163 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD416392019547)

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) Open Government Data (OGD) Platform India (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
india.gov.in The national portal of India (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)
HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
erms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) |
yperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) |
ontact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

(J.P. Suthar)
Executive Engineer
PWD, NH Division Barmer

further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section (4) of the section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 11th day of **October** of the year **2021.**
The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Bank of Baroda, Kotputli Branch, Hotel Sukh Sagar, NH-8, Kotputli District- Jaipur- 303108** for an amount **Rs. 69,12,604.77 (Rupees Sixty Nine Lakhs Twelve Thousand Six Hundred Four & Paisa Seventy Seven only) as on 30.07.2021 (inclusive of interest upto 30.06.2021)** and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.
The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Asset 1- All that part and parcel of Equitable Mortgage of Property situated at Khasra No. 1044, Mohalla Basadi, Ward No. 12, Kotputli, District – Jaipur, Rajasthan Admeasuring area 250.20 Sq. Yards in the name of Shri Sunil Kumar Saini S/o Shri Prabhu Dayal Saini **Bounded By**: East: Rasta, West: House of Sunil Tailor, North: Plot of Mothuram, South: Land of Tara Chand

Asset 2- All that part and parcel of Equitable Mortgage of Commercial Property situated at Mohalla Basadi, Ward No. 12, Kotputli, District – Jaipur, Rajasthan Admeasuring area 43.33 Sq. Yards in the name of Shri Sunil Kumar Saini S/o Shri Prabhu Dayal Saini **Bounded By:** East: Shop of Rajkumar etc., West: Other's Shop, North: Shop of Rajkumar etc., South: Rasta

Asset 3- All that part and parcel of Equitable Mortgage of Property situated at Khasra No. 957, 457 & 462, Dhani Phauja Wali Mohalla Basadi, Ward No. 12, Kotputli, District – Jaipur, Rajasthan Admeasuring area 288.13 Sq. Yards in the name of Shri Sunil Kumar Saini S/o Shri Prabhu Dayal Saini **Bounded By:** East: House of Hariram & Bullaram, West: House of Rattan Lal, North: House of Madan Lal, South: Rasta

Asset 4- All that part and parcel of Equitable Mortgage of Residential House Property situated at Khasra No. 1183/01, Mohalla Basadi, Kotputli, District – Jaipur, Rajasthan Admeasuring area 72.83 Sq. Yards in the name of Shri Sunil Kumar Saini S/o Shri Prabhu Dayal Saini **Bounded By**: East: Rasta, West: Plot No. 5 & 13, North: Rasta, South: Rasta

Sd/-
Authorised officer
Bank of Baroda

Place: Kotputli, District-Jaipur
Date : 11.10.2021

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प.1 (7) वन/2021 — जयपुर, दिनांक:- 23.02.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (*HoFF*)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- *Diversion 0.99 ha. in favour of Public Work Department NH-Division Barmer for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/ Jalore, reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer-Barmer-Sanchore Section) in the state of Rajasthan (FP/RJ/ROAD/41639/2019)*

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 ( )2019/जालौर रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/47 दिनांक 07.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-बाडमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में पत्थर एन.एच-15 के जैसलमेर-बाडमेर-सांचौर खण्ड के किमी 268.620 पर सर्विस रोड के साथ 6 लेन VUP निमार्ण हेतु 0.99 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निदेर्शो के परिपेक्ष्य में Diversion 0.99 ha. in favour of Public Work Department NH-Division Barmer for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/ Jalore ; reg. Construction of 6 laneVUP with Service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer-Barmer-Sanchore Section) in the state of Rajasthan की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल *OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal)* द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 तथा पत्र 12-2/2010-*CAMPA* दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल *OSMFWP* द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी. वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (बी.प्रवीण)
शासन सचिव

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Branch: Bikaner (Raj.)

POSSESSION NOTICE(for immovable property)
(Under rule 8(1) of security interest (Enforcement) rule, 2002)
(Mr.Vinod Kumar Nayak s/o Mohan Lal ,A/c No. 06881200000916)

The undersigned being the authorized officer of **Punjab & Sind bank Branch Office, Bikaner.** under the securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of Security Act 2002 and in exercise of the powers conferred under sub section 13(12) read with rule 8 and 9 of the seeurity interest (enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice dated **16.04.2021** calling upon **Mr. Vinod Kumar Nayak S/o Mohan Lal, hereinafter referred to as the Borrower, Address-D-II-102 Ballabh Garden Bikaner.(Rajasthan) Guarantor-1)Mr. Kuldeep S/o Vinod Kumar, Address-D-II-102 Ballabh Garden Bikaner.(Rajasthan) Guarantor-2)Smt. Praveen Begum W/o Falak Sher, Near Fad Bazar, Pathano ka Mohalla, Bikaner, (Rajasthan)** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.15,46,115.52(Rupees Fifteen lakh forty six thousand one hundred fifteen and fifty two Paisa only)** within 60 days from the date of the receipts of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. **23-07-2021.**
The borrowers having failed to repay the amount, notice is. hereby given to the **borrower/ guarantors and public** in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the snid Act read with rule8 and 9 of the said rules on this day **11 day of October 2021.**
The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank ,for an amount of **Rs.15,46,115.52(Rupees Fifteen lakh forty six thousand one hundred fifteen and fifty two Paisa only)** with future interest and incidental charges w.e.f. **23-07-2021** less recovery if any.

Description of immovable property

Residential property situated at D-II-102 Ballabh Garden.Bikaner (Raj.) as per Registered Sale Deed Number 201801057003994 Dated 01.05.2018 in the name of Vinod Kumar S/o Mohan Lal in Sub Registrar office, Bikaner in Book no.1 volume no 310 page no 160 S.no.20183057102066 add Book no.1 volume no. 1237 page no 75 to 86

Date : 11.10.2021, Place : Bikaner — **Authorised Officer(Punjab & Sind Bank)**

---

pnb

Punjab National Bank, CIRCLE RECOVERY CENTER, Plot No. 802, Angira Darpan, First Floor, Chopasani Road, Jodhpur 342003, Mail id cs8255@pnb.co.in M.: 9829634004

APPENDIX IV [See Rule 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank, Branch Office Pal Road, Jodhpur under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated **05-06-2021** calling upon the Borrowers / Guarantor / Mortgagor **M/S Wood is Good (Partner Rakesh Kumar Saini & Kavita Saini)** Guarantor **Shakuntala Saini W/o Roop Chand Saini** to repay the amount mentioned in the notice being is **Rs. 1,01,04,101.16** (Rupees One Crore One Lacs Four Thousand One Hundred One & Paisa Sixteen Only) as on 31-05-2021 with further interest from 01-05-2021 thereon until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower's / mortgagor's / Guarantor's having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **16 day of October of the year 2021.**
The borrower's / mortgagor's / Guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower's / mortgagor's / Guarantor's in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank, Branch Office Pal Road, Jodhpur for an amount of **Rs. 1,06,16,896.16** (Rupees One Crore Six Lacs Sixteen Thousand Eight Hundred Ninety Six & Paisa Sixteen Only) as on 30-09-2021 and interest & expenses thereon from 01-10-2021 until full payment.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

All that part and parcel of the Residential property of Rakesh Kumar Saini & Kavita Saini consisting of structures, erections, installations, etc. situated at Plot No. 138, Ashapurna Nagar, Khasra No. 220, 220/2, 220/3, Village Pal, Jodhpur Rajasthan. Admeasuring about 990.00 Sq. Ft. Bounded by: On the North by: Plot No. 139, On the South by: Plot No. 137, On the East by: Plot No. 154, On the West by.: Road

Date: 16.10.2021 Place: Jodhpur — **(Rajesh Kumar Indoria) Authorized Officer**

---

pnb

Punjab National Bank: Circle Recovery Centre
Plot No. 802, AngiraDarpan, First Floor,Chopasni Road, Jodhpur- 342003
Email: cs8255@pnb.co.in Mob:9829634004

APPENDIX IV [See Rule 8 (I)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **Punjab National Bank Branch Office MGH Road Jodhpur** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated **10-08-2021**calling upon the Borrowers / Guarantor / Mortgagor M/s **Mahadev Minerals Prop. Pushpa Lata W/o Ram Narayan Bhanwariya & Guarantor Ram Narayan Bhanwariya S/o Mangi Lal** to repay the amount mentioned in the notice being is **Rs. 57,79,590.89(RupeesFifty Seven Lacs Seventy Nine Thousand Five Hundred Ninety & Paise Eighty NineOnly)** as on **09-08-2021**with further interest from **31-07-2021**thereonuntil payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.
The borrower's / mortgagor's / Guarantor's having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this**14th day of October of the year 2021.**
The borrower's / mortgagor's / Guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
The borrower's / mortgagor's / Guarantor's in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank Branch Office MGH, Road Jodhpur for an amount of is **Rs. 57,37,515.89 (Rupees Fifty Seven LacsThirty SevenThousand Five Hundred Fifteen& Paise Eighty Nine Only)** as on **30-09-2021** with further interest from **01-10-2021** there on until payment in full.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the Residential Property of Ram Narayan Bhanwariya S/o Mangi Lal consisting of structures, erections, installations, etc. situated at Patta No.53, Missal No. 21/20-10-01, Village Borunda, Tehsil Pipar City, Distt Jodhpur Raj. Admeasuring 8232.00 sq. ft
Bounded by On The North By :Rasta — **On The South By :Plot of Mangi Lal**
On The West By :Plot of Hadman Singh — **On The East By :Rasta**

All that part and parcel of the Commercial Property of Pushpa Lata W/o Ram Narayan Bhanwariya & Ram Narayan Bhanwariya S/o Mangi Lal consisting of structures, erections, installations, etc. situated at Conversion Order No.433/2011, Khasra No.1723/2, Viliage Borunda Jodhpur (Raj), Admeasuring About 4856.22 Sq. Meters
Bounded by On The North By : Rasta — **On The South By :Khasra No. 1724/01**
On The West By : Rasta & Same khasra land — **On The East By :Khasra No. 1723**

Date:14-10-2021 Place :Jodhpur — **Authorized officer (Rajesh Kumar Indoria)**

आयोजन किया गया। की गई।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प.1 (7) वन/2021 जयपुर, दिनांकः- 23.02.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (*HoFF*)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः- ***Diversion 0.99 ha. in favour of Public Work Department NH-Division Barmer for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/ Jalore, reg. Construction of 6 lane VUP with service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer-Barmer-Sanchore Section) in the state of Rajasthan (FP/RJ/ROAD/41639/2019)***

संदर्भः-आपका पत्रांक एफ 14()2019/जालौर रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/47 दिनांक 07.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-बाड़मेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में पत्थर एन.एच-15 के जैसलमेर-बाड़मेर-सांचौर खण्ड के किमी 268.620 पर सर्विस रोड के साथ 6 लेन VUP निमार्ण हेतु 0.99 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निदेशों के परिपेक्ष्य में **Diversion 0.99 ha. in favour of Public Work Department NH-Division Barmer for Rectification of Black Spot ID No. RJ-032/ Jalore ; reg. Construction of 6 laneVUP with Service road at km 268.620 of NH-15 (Jaisalmer-Barmer-Sanchore Section) in the state of Rajasthan** की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल *OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal)* द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-*CAMPA* दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल *OSMFWP* द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (बी.प्रवीण)
शासन सचिव

...न से अधिक आवेदकों ने
...ईन आवेदन किया था।
...ख्य निर्वाचन अधिकारी ने
...आम नागरिकों की विशेष
... 18-19 आयु वर्ग के
... से आव्हान किया है कि
...धिक से अधिक संख्या में
...निर्वाचन आयोग के वोटर
...ाईन एप को डाउनलोड करें
...एप के माध्यम से मतदाता
... पंजीकरण की कार्यवाही
... जो मतदाता के रूप में
... हैं वह अपनी प्रविष्टियों
...ध में जानकारी प्राप्त करें।

...र्व आईएएस ...ला प्रदर्शनी ... शुभारम्भ

...र्शनी में प्रदर्शित चित्रों से ...ली आय ऐसे बच्चों के ...र्थ खर्च की जाएगी, जो ... के कारण अनाथ हो गए ...होंने बताया कि संगीत, ..., कला में उनकी हमेशा से ... रुचि रही है और उनके ...त्र बनाना उनका पैशन है, ...उन्हें लगातार नई ऊर्जा और ...मकता मिलती है। उन्होंने ...कि गत एक वर्ष में उन्होंने ... अधिक चित्र बनाए हैं, ...हां प्रदर्शित किया है। कला ...को देखते हुए प्रमुख शासन ...श्रीमती राठौड़ ने कहा कि ...में जीवन के विविध रंगों ...ावनाओं की खूबसूरत ...क्ति है, जो अभिभूत करने ...। उन्होंने कहा कि प्रकृति

...डर कार्यालय राजेन्द्र नगर, जालौर से प्रकाशित।
...yahoo.co.in